रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032023-244249 CG-DL-E-10032023-244249

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1077] No. 1077] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2023/फाल्गुन 19, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2023/PHALGUNA 19, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2023

का.आ 1121(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एक्रिलोनिट्राइल-ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एक्रिलोनिट्राइल-ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. एक्रिलोनिट्राइल-ब्यूटाडीन स्टाइरीन (एबीएस) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(2) यह 12 जून, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग (2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

1572 GI/2023 (1)

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3927 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 88(अ) तारीख 07 जनवरी, 2022, संख्यांक का.आ. 1069(अ), तारीख 10 मार्च, 2022 और संख्यांक का.आ. 4136(अ) तारीख 02 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2023

- **S.O. 1121(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Order, 2021, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) This order may be called the Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
 - "(2) It shall come into force on the 12th day of June, 2023".

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part (2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3927(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended *vide* number S.O. 88(E), dated the 7th January, 2022, S.O. 1069(E), dated the 10th March, 2022 and S.O. 4136(E), dated the 2nd September, 2022.

आदेश

नई दिल्ली. 9 मार्च. 2023

- का.आ 1122(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पॉलीकार्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातु:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलीकार्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. पॉलीकार्बोनेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(2) यह 12 मार्च, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग (2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3930 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 1071 (अ) तारीख 10 मार्च, 2022 और संख्यांक का.आ. 4138 (अ), तारीख 02 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2023

- **S.O. 1122(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Polycarbonate (Quality Control) Order, 2021, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** -(1) This order may be called the Polycarbonate (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Polycarbonate (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
 - "(2) It shall come into force on the 12th day of March, 2024".

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part (2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3930(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended *vide* number S.O. 1071(E), dated the 10th March, 2022 and S.O. 4138(E), dated the 2nd September, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2023

का.आ 1123(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, विनाइल क्लोराइड मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनाइल क्लोराइड मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. विनाइल क्लोराइड मोनोमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(2) यह 12 मार्च, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग (2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3932 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 862 (अ) तारीख 25 फरवरी, 2022, संख्यांक का.आ. 1072 (अ), तारीख 10 मार्च 2022 और संख्यांक का.आ. 4139 (अ), तारीख 02 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2023

- **S.O. 1123(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Vinyl Chloride Monomer (Quality Control) Order, 2021, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) This order may be called the Vinyl Chloride Monomer (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Vinyl Chloride Monomer (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
 - "(2) It shall come into force on the 12th day of March, 2024".

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part (2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3932(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended *vide* number S.O. 862(E), dated the 25th February, 2022, S.O. 1072(E), dated the 10th March, 2022 and S.O. 4139(E), dated the 02nd September, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2023

का.आ 1124(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एथिलीन डाइक्लोराइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एथिलीन डाइक्लोराइड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश. 2023 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. एथिलीन डाइक्लोराइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
 - "(2) यह 12 मार्च, 2024 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक. सीपीसी भाग (2)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3928 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 1070 (अ) तारीख 10 मार्च, 2022 और संख्यांक का.आ. 4137 (अ), तारीख 02 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2023

- **S.O. 1124(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Ethylene Dichloride (Quality Control) Order, 2021, namely:—
- 1. **Short title and commencement.** (1) This order may be called the Ethylene Dichloride (Quality Control) Amendment Order, 2023.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ethylene Dichloride (Quality Control) Order, 2021, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
 - "(2) It shall come into force on the 12th day of March, 2024".

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC-Part (2)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3928(E), dated the 13th September, 2021 and subsequently amended *vide* number S.O. 1070(E), dated the 10th March, 2022 and S.O. 4137(E), dated the 2nd September, 2022.